HRA की राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 58]

नई दिल्ली, **बृहस्पतिवार, फरवरी 25, 2010/फाल्गुन** 6, 1931 DELHI THURSDAY FERRUARY 25, 2010/PHALCUNA 6, 103

No. 58]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 25, 2010/PHALGUNA 6, 1931

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2010

सं एल-7/186(201)/2009-सीईआरसी.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 178 (2) (द) के साथ पठित धारा 61 के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, केंदीय विद्युत विनियामक आयोग निवीकरणीय उर्जा स्त्रोत से टैरिफ के अवधारण के लिए निबंधन और शतें) विनियम, 2009 (जिसे इसे इसमें इसके पश्चात् "मूल विनियम" कहा गया है) का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम यनाता है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ

- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय उर्जा स्त्रोत से टैरिफ के अवधारण के लिए निवंधन तथा शतें) (पहला संशोधन) विनियम, 2010 है।
- (2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन **की तारीख से** प्रवृत्त होंगे।
- 2. मूल विनियम के विनियम 8 का संशोधन— मूल विनियम के विनियम 8 में, विद्यमान खंड (2) को खंड (3) के रूप में पुन:संख्यांकित किया जाएगा तथा खंड (2) के रूप में निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात:—
 - "(2) इन विनियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,
 - (क) पूंजी लागत तथा वर्ष 2010-11 के लिए लागू अन्य

संनियमों पर आधारित सौर पी.वी. परियोजनाओं के लिए अवधारित जेनेरिक टैरिफ वर्ष 2011-12 के दौरान ऐसी परियोजनाओं को भी लागू; और

(ख) पूंजी लागत तथा वर्ष 2010-11 के लिए अन्य संनियमों पर आधारित सौर थर्मल परियोजनाओं के लिए अवधारित जेनेरिक टरिफ वर्ष 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान ऐसी परियोजनाओं को भी.

इस शर्त के अधीन रहते हुए लागू होगा कि (i) इस खंड में यथा उल्लिखित सौर पी.वी. परियोजनाओं तथा सौर धर्मल परियोजनाओं की बाबत उर्जा क्रय करार पर 31 मार्च, 2011 को या उसमें पृष्ं हस्ताक्षर किए गए हैं तथा (ii) उर्जा क्रय करार में सम्मिलित संपूर्ण क्षमता, सौर पी.वी. परियोजनाओं की बाबत 31 मार्च, 2012 को या उससे पूर्व तथा सौर धर्मल परियोजनाओं की बाबत 31 मार्च, 2013 को या उससे पूर्व आरंभ हो गई हो।"

आलोक कुमार, सचिव

[विज्ञापन []]/4/150/09-असा.]

पाद टिप्पण: मूल विनियम तारीख 17 सितम्बर, 2009 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 111, खंड 4 में प्रकाशित किए। गए थे।

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION NOTIFICATION

New Delhi, the 25th February, 2010

No. L-7/186(201)/2009-CERC.— In exercise of powers conferred under Section 61 read with Section 178 (2) (s) of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), and all other powers enabling it in this behalf, and after previous

publication the Central Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations to amend the Central Electricity Regulatory Commission (terms and Conditions for Tariff determination from Renewable Energy Sources) Regulations, 2009 (hereinafter referred to as the Principal regulations), namely:—

1. Short titile and commencement

- (1) These regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Tariff determination from Renewable Energy Sources) (First Amendment) Regulations, 2010.
- (2) There regulations shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment to Regulation 8 of the principal regulations

- In Regulation 8 of the principal regulations the existing Clause (2) shall be renumbered as Clause (3) and the following shall be inserted as Clause (2):
- "(2) notwithstanding anything contained in these regulations,
 - (a) the generic tariff determined for Solar PV projects based on the capital cost and other norms applicable for the year 2010-11 shall also

- apply for such projects during the year 2011-12; and
- (b) the generic tariff determined for Solar thermal projects based on the capital cost and other norms for the year 2010-11 shall also apply for such projects during the years 2011-2012 and 2012-13:

Provided that (i) the Power Purchase Agreements in respect of the Solar PV projects and Solar thermal projects as mentioned in this clause are singed on or before 31st March, 2011; and (ii) the entire capacity covered by the Power Purchase Agreements is commissioned on or before 31st March, 2012 in respect of Solar PV projects and on or before 31st March, 2013 in respect of Solar thermal projects."

ALOK KUMAR, Secy.
[ADVT: III 1/150/09-Exiv.]

Foot Note: The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 on 17th September, 2009.